

वार्षिक लेखा

2013-2014



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुरशाह जफ़र मार्ग

नई दिल्ली - 110002

www.ugc.ac.in

© विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

मुद्रित : फरवरी 2015
100 प्रतियां

प्रकाशक : सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002

मुद्रणकर्ता दीया मीडिया आर्ट, डी-41/ए, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 दूरभाष : 9312550335, 9211656230

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
सूचकांक - वित्तीय विवरण - 2013-14

विवरण	पृष्ठ सं.
वित्तीय लेखा विवरण	
क. तुलन-पत्र 31 मार्च, 2014 तक की स्थिति अनुसार	1
ख. 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष का आय-व्यय लेखा	2
ग. अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 के दौरान प्राप्ति एवं भुगतान का विवरण	3.5
घ. नेट खाता 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक की अवधि के दौरान प्राप्ति एवं भुगतान	6
अनुसूचियाँ एवं परिशिष्ट	
क. तुलन पत्र (1,2,3,4,एवं 5) की आन्तरिक अनुसूचियाँ	7.10
ख. प्राप्ति एवं व्यय की आन्तरिक अनुसूचियाँ (6,7,8,9,10 एवं 11)	11.23
ग. बैंकों में जमा शेष 31.03.2014 तक की स्थिति अनुलग्नक-1	24.25
टिप्पण एवं नीतियाँ	
महत्वपूर्ण लेखा विवरण नीतियाँ (अनुसूची-12)	26
आकस्मिक देयता एवं लेखों पर टिप्पण (अनुसूची-13)	27

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
तुलन-पत्रा दिनांक 31 मार्च, 2014 तक

		(राशि रुपयों में)	(राशि रुपयों में)
समग्र निधि/पँजीगत निधि एवं देयताएँ	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
समग्र निधि/पँजीगत निधि	1	11,426,018,341	10,422,222,308
उद्धिष्ट/स्थायी निधि	2	16,851,118	16,851,118
चालू देयताएँ एवं प्रावधान	3	364,349,022	337,252,053
कुल		11,807,218,481	10,776,325,480
परिसम्पत्तियाँ	4	73,597,040	59,806,903
अचल परिसम्पत्ति, ऋण एवं अग्रिम राशियाँ आदि	5	11,733,621,441	10,716,518,577
कुल		11,807,218,481	10,776,325,480
महत्वपूर्ण लेखा विवरण नीतियाँ	12		
आकस्मिक देयताएँ एवं लेखा विवरण पर टिप्पण	13		

स्थान:

दिनांक:

मुरारीलाल
अवर सचिव

जितेन्द्र सरोहा
संयुक्त सचिव

उपमन्यु बसु
वित्तीय सलाहकार

प्रो० जसपाल सिंह सन्धू
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष का आय एवं व्यय विवरण

आय	अनुसूची	(राशि रुपयों में)	(राशि रुपयों में)
		चालू वर्ष	गत वर्ष
केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान	6	103,654,850,852	98,986,257,499
निवेश एवं जमा राशि से प्राप्त ब्याज राशि	7	1,018,217,843	844,315,463
अन्य विविध आय	8	3,167,207	7,677,896
कुल (अ)		104,676,235,902	99,838,250,858
व्यय	-	-	-
व्यवस्थापन व्यय	9	461,555,870	435,573,017
प्रशासनिक व्यय	10	309,975,997	182,473,008
विभिन्न परियोजनाओं पर व्यय	11	102,869,171,036	101,092,840,291
अवमूल्यन (संकेत: अनुसूचि-4)	-	31,736,967	18,743,895
कुल (ब)		103,672,439,869	101,729,630,211
शेष घाटा/अधिशेष (अ-ब)		1,003,796,033	1,891,379,353

स्थान:

दिनांक:

मुरारीलाल
अवर सचिव

जितेन्द्र सरोहा
संयुक्त सचिव

उपमन्यु बसु
वित्तीय सलाहकार

प्रो० जसपाल सिंह सन्धू
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक की अवधि के दौरान प्राप्तियाँ एवं भुगतान

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष (₹0)	गत वर्ष (₹0)	भुगतान	चालू वर्ष (₹0)	गत वर्ष (₹0)
प्रारम्भिक शेष	-	-	व्यय	-	-
बचत बैंक खाता शेष	10,325,020,616	12,251,018,275	व्यवस्थापन व्यय	461,555,870	435,573,017
अनुदान प्राप्त कर्ता विभिन्न मंत्रालय:	-	-	प्रशासनिक व्यय	309975997	185,034,067
अनुदान-गैर योजनागत मा.सं.वि.मं.	51243870000	46,867,843,000	विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधि का भुगतान	-	-
अनुदान-योजनागत मा.सं.वि.मं.	50139060000	49,607,941,000	गैर योजनागत परियोजनाओं का भुगतान	50998421205	46,427,934,372
अनुदान-सामा. न्याय एवं अधिका. मंत्रालय(रा.गां.रा.अ.-अ.जा.)	245000000	-	योजनागत परियोजनाओं का भुगतान	50447960125	53,053,752,054
अनुदान-जन.जा. मामलों का मंत्रालय(रा.गां.रा.अ.-अ.जा.)	0	450,000,000	परियोजनाओं हेतु भुगतान-रा.गां.रा.अ.(अ.जा)	652894992	615,655,369
अनुदान-योजनागत-अल्पसं. मामलों का मंत्रालय(मौ.आ.रा.अ.)	500000000	660,000,000	परियोजनाओं हेतु भुगतान-रा.गां.रा.अ.(अ.जा)	271930204	192,014,414
अनुदान- योजनागत-संस्कृति मन्त्रालय(मालवीय चैयर योजना)	0	15,000,000	परियोजनाओं हेतु भुगतान-मौ.आ.रा.अ.	464336995	486,724,842
विभिन्न संस्थानों से अव्ययित शेष की वापसी:	-	-	परियोजनाओं हेतु भुगतान-मालवीय चैयर योजना	0	15,000,000
गैर योजनागत अव्ययित शेष की वापसी मा.सं.वि.मं.	338670	5,559,341	अचल परिसम्पत्तियाँ:	-	-
योजनागत अव्ययित शेष की वापसी मा.सं.वि.मं.	1333994831	946,919,111	फर्नीचर एवं उपस्कर	1590365	1,357,218
अव्ययित शेष की वापसी -रा.गां.रा.अ.(अ.जा.)	9420949	25,541,539	वियुक्त यन्त्र	7549743	3,157,037
अव्ययित शेष की वापसी -रा.गां.रा.अ.(अ.जा.जा.)	8473429	24,533,450	कम्प्यूटर/परिधीय	34607674	20,243,641
अव्ययित शेष की वापसी -मौ.आजाद रा. अ.	0	200,000	पुरतकालय पुस्तकें एवं पत्रिकायें	276316	352,435
विभिन्न बैंकों से राशियों का उल्लमण:	-	-	मोटर वाहन	1503006	0
गैर योजनागत राशियों का उल्लमण	8094676	4,449,600	निवेश एवं अग्रिम	-	-
योजनागत राशियों का उल्लमण	132970780	62,770,740	सीपीडब्ल्यू को अग्रिम(सी एवं ई) प्रभाग	9623602	5,768,335
मानव संसा. वि. मन्त्रा. के अतिरिक्त अन्य राशियों का उल्लमण	0	13,740,478	एआईसीटीई के पास अग्रिम	3000000000	0
निवेश एवं जमा पर आय	-	-	प्रतिभूति जमा -निजी संस्थान-परिसम्पत्तियाँ	0	220,000
स्थायी निधि एफडीआर से ब्याज	644728	14,374	वसूलियाँ एवं अग्रिम	-	-
भविष्य निधि स्थायी जमा से ब्याज	35449738	10,710,074	भवन निर्माण अग्रिम	-	-
अंशदायी भविष्य योजना एफडीआर से ब्याज	320663	181,028	भवन निर्माण अग्रिम-प्रतिनियुक्ति	40898	27,233
भविष्य निधि प्रतिभूति जमा से ब्याज	81416	0	यातायात अग्रिम	126000	60,000
बचत बैंक ब्याज पर आय	-	-	यातायात अग्रिम-प्रतिनियुक्ति	6820	32,802
ब्याज-बचत बैंक-गैर योजनागत-मानव संसाधन विकास मंत्रालय	244622531	122139,054	त्यौहार अग्रिम	532500	615,000
ब्याज-बचत बैंक-योजनागत-मानव संसाधन विकास मंत्रालय	635214928	409,958,710	त्यौहार अग्रिम-प्रतिनियुक्ति	400	0
ब्याज-बचत बैंक-योजनागत-मा.सं.वि.मं. क्षेत्रीय कार्यालय	0	144,412,298	कम्प्यूटर अग्रिम	90000	412,350
ब्याज-बचत बैंक-एमओसी-मालवीय चैयर	45279	0	कम्प्यूटर अग्रिम-प्रतिनियुक्ति	4400	-
ब्याज-बचत बैंक-मा.सं.वि.मं.(ई-कन्टेंट)	31229411	30,612,308	लाइसेंस शुल्क	449452	406,836
ब्याज-बचत बैंक-(सा.न्याय. अधि.एवं रोज. मं.)रा.गां.रा.अ. (अ.जा)	11857552	53,349,497	लाइसेंस शुल्क-प्रतिनियुक्ति	4432	1,344
ब्याज-बचत बैंक-राजीव गांधी रा.अ.वृ.अ.ज.जा(जनजातीय मंत्रा.)	33887444	28,727,498	जीवन बीमा प्रीमियम	2568921	2,601,965
ब्याज-बचत बैंक-मौलाना आजाद रा0 अध्ये0(अल्पसंख्यक मामले)	30459552	19,687,086	जीवन बीमा प्रीमियम-प्रतिनियुक्ति	7595	-
ब्याज-बचत बैंक-स्थायी निधि पर	163572	131,217	सामूहिक बीमा योजना	467840	477,856
ब्याज-बचत बैंक-राष्ट्रीय बचत कार्यालय	290419	279,884	सामूहिक बीमा योजना-प्रतिनियुक्ति	9500	3,240
ब्याज-बचत बैंक-फोर्ड फाउन्डेशन	76244	73,479	कल्याण निधि	0	85
नवीन पेंशन योजना निधि से ब्याज (बचत)	7641	11,722	सीजीएचएस अंशदान प्रतिनियुक्ति कर्मचारी	19900	2,650
सामान्य भविष्य निधि से ब्याज (बचत)	1020362	1,979,913	यूजीसी सहकारी मितव्ययी एवं साख समिति	581105	645,705
अंशदायी भविष्य निधि से ब्याज (बचत)	41739	239,799	स्रोत पर कर कटौती-वेतन (आयकर)	13273662	11,022,671
विविध आय	-	-	स्रोत पर कर कटौती-अन्य (आयकर)	7616199	3,997,862
यूजीसी की सूचना का विक्रय-गैर योजनागत	98458	221,341	यूजीसी द्वारा सामान्य भविष्य निधि भुगतान	62541495	61,713,755
अग्रिम पर ब्याज- गैर योजनागत	632033	719,365	यूजीसी द्वारा अंशदायी भविष्य निधि भुगतान	688137	779,000
अग्रिम पर ब्याज-प्रति नियुक्ति	100389	0	यूजीसी द्वारा नई पेंशन योजना भुगतान	1274895	936,455

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवाओं का योगदान-कर्मचारियों	941275	962,559	सा.भ.निधि एवं अंशदायी. भ.नि.	1463081	1,264,142
केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवाओं का योगदान-पेंशनभोगियों	561000	872,796	भुगतान-प्रतिनियुक्ति	73000	66,000
अवकाश वेतन पेंशन योगदान	834052	4,901,835	अग्रदाय धन	-	-
वसूलियाँ एवं अग्रिम	-	-	विविध भुगतान-वसूली, अग्रिम	2850000	-
भवन निर्माण अग्रिम	110522	81,420	स्थायी जमा प्राप्तियों से निर्मित स्थायी निधि	-	1,402
भवन निर्माण अग्रिम-प्रतिनियुक्ति	40898	27,233	स्थायी निधि (ब्याज का उल्लेख)	300732	524,551
यातायात अग्रिम	186793	221,026	नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी)	658567	939,554
यातायात अग्रिम-प्रतिनियुक्ति	9820	32,802	सामान्य बीमा योजना-कर्मचारी	557762	308,775
त्वौहार अग्रिम	589500	547,375	सम्पदा कार्यालय	254464	-
त्वौहार अग्रिम-प्रतिनियुक्ति	800	0	विविध भुगतान	8000	117,968
कम्प्यूटर अग्रिम	157472	252,906	न्यायालय वसूलियाँ	115204	0
कम्प्यूटर अग्रिम -प्रतिनियुक्ति	4400	0	प्रधानमंत्री राहत कोष	9653686790	10,494,810,012
सरकारी आवास के लिए लाइसेंस शुल्क	449452	406,836	क्षेत्रीय कार्यालयों को अग्रिम	-	-
लाइसेंस शुल्क- प्रतिनियुक्ति	4432	1,344	समापन शेष	-	-
जीवन बीमा प्रीमियम	2589389	2,601,965	(अ) नकद राशि	8312427762	10,325,020,616
जीवन बीमा प्रीमियम-प्रतिनियुक्ति	8680	0	(ब) बचत बैंक खाता		
सामूहिक बीमा योजना	467808	486,112			
सामूहिक बीमा योजना-प्रतिनियुक्ति	10550	3,240			
कल्याण निधि	0	85			
सीजीएचएस अंशदान-प्रतिनियुक्ति	19400	2,650			
यूजीसी मितव्ययी एवं साख सहकारी समिति	581105	645,705			
स्रोत पर कर कटौती-वेतन (आयकर)	13273662	11,022,671			
स्रोत पर कर कटौती- अन्य (आयकर)	7586430	3,998,297			
यूजीसी सामान्य भविष्य निधि वसूली	62541495	61,713,755			
सामान्य भविष्य निधि एवं अंशदायी भवि. निधि वसूली-प्रतिनियुक्ति	1478881	1,264,142			
यूजीसी अंशदायी भविष्यनिधि वसूली	688137	779,000			
यूजीसी नवीन पेंशन योजना वसूली	1274895	936,455			
अग्रदाय धन	73000	66,000			
प्रतिभूति जमा-निजी व्यक्तियों-देयतायें	110000	1,182,000			
अन्य विविध प्राप्तियाँ, वसूलियाँ, अग्रिम	-	-			
स्थायी जमा प्राप्तियाँ- भुगतान योग्य-स्थायी निधि	2850000	-			
नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी)	258746	524,551			
सामान्य बीमा योजना-कर्मचारी	497407	1,383,791			
सम्पदा कार्यालय	322583	764,917			
न्यायालय वसूली	95478	0			
प्रधानमंत्री राहतकोष	17500	117,968			
प्रधानमंत्री राहतकोष-प्रतिनियुक्ति	112274	-			
क्षेत्रीय कार्यालयों को अग्रिम	2930	0			
	9653686790	10,494,810,012			
कुल	124,724,925,607	122,349,576,629	कुल	124,724,925,607	122,349,576,629

स्थान:

दिनांक:

मुरारीलाल
अवर सचिव

जितेन्द्र सरोहा
संयुक्त सचिव

उपमन्त्रु बसु
वित्तीय सलाहकार

प्रो० जसपाल सिंह सन्धू
सचिव

वर्ष 2013-14 के (नेट) की प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा विवरण

क्र.सं.	नाम	01.04.2013 को प्रारम्भिक शेष	2013-14 में प्राप्त निधि	नेट द्वारा बचत खातों पर अर्जित ब्याज राशि	प्रत्याशियों से प्राप्त शुल्क-प्रत्यर्पण, विविध प्राप्तियाँ	कुल	हस्तांतरित निधि	2013-14 में किया गया व्यय	अन्तिम शेष 31.03. 2014 तक
1.	नेट (गोपनीय व्यय खाता)	26876220.33	80000000	924257	-	107800477.33	-	95453414	12347063.33
2.	नेट (शुल्क खाता)	426617498.2	-	32489556	420402905	879509959.19	300000000	-	579509959.19
3.	यूजीसी नेट परीक्षा	47615842.58	220000000	1498726	10644075	279758643.58	-	268828074	15930569.58
4.	कुल	501109561.10	300000000	34912539.00	431046980.00	1267069080.10	300000000	359281488.00	607787592.10

1) *मुख्य लेखों में सम्मिलित नहीं किया गया।

स्थान:
दिनांक:

मुरारीलाल
अवर सचिव

जितेन्द्र सरोहा
संयुक्त सचिव

उपमन्यु बसु
वित्तीय सलाहकार

प्रो० जसपाल सिंह सन्धू
सचिव

अनुसूची-1

31 मार्च, 2014 तक के तुलनपत्र के अंश के रूप में अनुसूचियाँ

समग्र निधि/पूँजीगत निधि	चालू वर्ष (₹0)	गत वर्ष (₹0)
वर्ष के प्रारम्भ में शेष राशि घटायें: आय एवं व्यय खातों से अन्तरित राशि से निबल आय का अन्तरिम शेष	10422222308 1003796033	12330697459 0
समग्र पूँजी घटायें: स्थायी जमा प्राप्तियाँ 2011-12 पर प्राप्त ब्याज राशि जो पूँजी के साथ उल्लिखित एवं समायोजित की गई	11426018341 0	12330697459 17095798
समायोजित राशि	0	17095798
पूँजी समापन शेष जो 31.03.2013 को था	11426018341	12313601661

अनुसूची-2

उद्दिष्ट/स्थायी निधि	चालू वर्ष (₹0)	गत वर्ष (₹0)
स्थायी निधि	6087281	6087281
राष्ट्रीय खेलकूद संगठन	6908706	6908706
फोर्ड फाउण्डेशन	1813757	1813757
कॉमनवेल्थ-लंदन	100484	100484
राष्ट्रीय सेवा योजना	43848	43848
विकलांग योजना	1897042	1897042
कुल	16851118	16851118

स्थान:

दिनांक:

मुरारीलाल
अवर सचिव

जितेन्द्र सरोहा
संयुक्त सचिव

उपमन्थु बसु
वित्तीय सलाहकार

प्रो० जसपाल सिंह सन्धू
सचिव

अनुसूची-3

31 मार्च, 2014 तक के तुलन पत्र के अंश के रूप में अनुसूचियाँ

चालू देयतायें एवं प्रावधान	चालू वर्ष (₹0)	गत वर्ष (₹0)
चालू देयताएँ	-	-
स्रोत पर कर कटौती- वेतन (आयकर)	0	0
स्रोत पर कर कटौती- अन्य (आयकर)	-30859	-1090
जीवन बीमा प्रीमियम	21943	1475
जीवन बीमा प्रीमियम- प्रतिनियुक्ति	1085	0
सामूहिक बीमा योजना	-6206	-6174
सामूहिक बीमा योजना-प्रतिनियुक्ति	445197	0
सामान्य बीमा योजना (कर्मचारी)	-161160	444147
लाइसेंस शुल्क	-115	-115
सम्पदा कार्यालय	258864	494043
एनडीएमसी	-41986	0
न्यायालय की वसूलियाँ	9500	0
विविध प्राप्तियाँ	-158986	0
सामान्य भविष्य निधि एवं अंशदायी भविष्य निधि वसूलियाँ- प्रतिनियुक्ति	15800	0
निजी फर्मों से प्रतिभूति जमा राशि- देयताएँ	2177800	2067800
सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि/नवीन पेंशन योजना-देयतायें	2530877	3000086
यूजीसी सामान्य भविष्य निधि देयतायें	358147748	331186822
यूजीसी अंशदायी भविष्य निधि देयतायें	3046703	2851504
यूजीसी नवीन पेंशन योजना देयतायें	623695	213642
अन्य देयतायें	361818145	334251967
कुल	364349022	337252053

स्थान:

दिनांक:

मुरारीलाल
अवर सचिव

जितेन्द्र सरोहा
संयुक्त सचिव

उपमन्यु बसु
वित्तीय सलाहकार

प्रो० जसपाल सिंह सन्धू
सचिव

अनुसूचि-4

दिनांक 31.03.2014 को स्थायी परिसम्पत्तियों की अनुसूचि

विवरण	सकल ब्लॉक		अवमूल्यन					शुद्ध ब्लॉक	
	वर्ष के प्रारम्भ में मूल्य	वर्ष के दौरान संयोजन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	वर्षात् पर मूल्य	वर्ष के प्रारम्भ में अवमूल्यन	वर्ष के दौरान अवमूल्यन	जैसे कि चालू वर्ष के अन्त में था	जैसे कि गत वर्ष के अन्त में था	
निधि में से प्राप्त अचल परिसम्पत्तियाँ									
1. पुरानी अचल परिसम्पत्तियाँ	24705315	0	0	24705315	0	0	24705315	24705315	
2. फर्नीचर एवं उपकरण-10 प्रतिशत	6760667	1590365	0	8351032	2983665	835103	7515929	6760667	
3. बिजली उपकरण-15 प्रतिशत	17095856	7549743	0	24645599	9101343	3696840	20948759	17095856	
4. कम्प्यूटर परिधीय-60 प्रतिशत	9732005	34607674	0	44339679	28315827	26603808	17735872	9732005	
5. पुस्तकालय पुस्तकें एवं पत्रिकायें-30 प्रतिशत	439410	276316	0	715726	306300	214718	501008	439410	
6. मोटर वाहन-15 प्रतिशत	1073649	1,503,006.00	-	2576655	189468	386498	2190157	1073649	
कुल- चालू वर्ष	59806903	45527104	0	105334007	40896603	31736967	73597040	59806902	

स्थान:

दिनांक:

मुरारीलाल
अवर सचिव

जितेन्द्र सरोहा
संयुक्त सचिव

उपमन्यु बसु
वित्तीय सलाहकार

प्रो० जसपाल सिंह सन्धू
सचिव

अनुसूचि-5

31 मार्च, 2014 तक की समापन अवधि तक तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचि

चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम इत्यादि	चालू वर्ष (₹0)	गत वर्ष (₹0)
चालू परिसम्पत्तियाँ	-	-
बैंक शेष एवं निवेश-यूजीसी मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय	-	-
हस्त रोकड़	0	0
अग्रदायी लेखे	0	0
बचत बैंक खात (परिशिष्ट-अ)	8312427762	10325020616
निवेश-स्थायी निधि स्थायी जमा प्राप्तियाँ (केनरा एवं सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया)	2850000	2850000
बैंक शेष एवं निवेश-सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि/नवीन पेंशन योजना-लेखे	-	-
सामान्य भविष्य निधि- बचत बैंक खाता- केनरा बैंक-441	48147747.79	91190821.79
अंशदायी भविष्य निधि योजना-बचत बैंक खाता-केनरा बैंक-442	2746702.5	1551503.5
नई पेंशन योजना-बचत बैंक खाता-केनरा बैंक-812	623695	213642
सामान्य भविष्य निधि निवेश फण्ड-यूजीसी	310000000	239996000
अंशदायी भविष्य निधि निवेश फण्ड-यूजीसी	300000	1300000
अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ	-	-
के.लो.नि.वि. को अग्रिम (सिविल एवं विद्युत विभाग)	29942205	20318603
(अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) अग्रिम	3000000000	0
निजी संस्थाओं के पास प्रतिभूति जमा राशि-परिसम्पत्तियाँ	305450	305450
सरकारी एजेंसियों के पास प्रतिभूति जमा राशि-परिसम्पत्तियाँ	372000	372000
भवन निर्माण अग्रिम	116536	227058
यातायात अग्रिम	280928	341721
यातायात अग्रिम- प्रतिनियुक्ति	-3000	0
त्यौहार अग्रिम	373900	430900
त्यौहार अग्रिम-प्रतिनियुक्ति	-400	0
कम्प्यूटर अग्रिम	340431	407903
सीजीएचएस अंशदान-प्रतिनियुक्ति	500	0
अर्जित आय	-	-
स्थायी निधि स्थायी जमा प्राप्तियों पर अर्जित ब्याज राशि	64577	585115
सामान्य भविष्य निधि स्थायी जमा प्राप्तियों पर अर्जित ब्याज	14548971	21118669
योजना-राष्ट्रीय सेवा योजना	43848	43848
विकलांगों के लिए योजना	1897042	1897042
अन्य अग्रिम	8242545	8242545
कुल	11733621441	10716518577

स्थान:

दिनांक:

मुरारीलाल
अवर सचिव

जितेन्द्र सरोहा
संयुक्त सचिव

उपमन्यु बसु
वित्तीय सलाहकार

प्रो० जसपाल सिंह सन्धू
सचिव

अनुसूचि-6

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूचि जो 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के आय एवं व्यय के अंश के रूप में है-

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
मन्त्रालय जिनसे अनुदान प्राप्त हुआ	-	-
अनुदान-गैर योजनागत-मानव संसाधन विकास मन्त्रालय	51243870000	46867843000
अनुदान-योजनागत-मानव संसाधन विकास मन्त्रालय	50139060000	49607941000
अनुदान- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय(रा0गाँ0अध्ये0वृ0-अ.जा.)	245000000	-
अनुदान-जनजातीय मामलों का मन्त्रालय(रा0गाँ0अध्ये0वृ0-अ.जा.)	0	450000000
अनुदान- योजनागत- अल्पसंख्यक मन्त्रालय (मौ.आ.रा.अध्ये.वृ.)	500000000	660000000
अनुदान-सांस्कृतिक मन्त्रालय (मालवीय चेरर योजना)	0	150000000
विभिन्न संस्थानों से अव्ययित शेष राशि के प्रत्यर्पण	-	-
गैर योजनागत-मानव संसाधन विकास मन्त्रालय से अव्ययित शेष का प्रत्यर्पण	338670	5559341
योजनागत- मानव संसाधन विकास मन्त्रालय से अव्ययित शेष का प्रत्यर्पण	1333994831	946919111
राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति-अ.जा. में से अव्ययित शेष का प्रत्यर्पण	9420949	25541539
राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति-अ.जा. में से अव्ययित शेष का प्रत्यर्पण	8473429	24533450
मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति में अव्ययित शेष का प्रत्यर्पण	0	200000
विभिन्न बैंकों से राशियों का उल्क्रमण	-	-
गैर योजनागत-मानव संसाधन विकास मन्त्रालय-राशियों का उल्क्रमण	8094676	4449600
योजनागत-मानव संसाधन विकास मन्त्रालय-राशियों का उल्क्रमण	132970780	62770740
मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के अतिरिक्त राशियों का उल्क्रमण	0	13740478
विभिन्न संस्थानों से अव्ययित शेष राशि का समायोजन	-	-
गैर योजनागत-मानव संसाधन विकास मन्त्रालय अव्ययित शेष का समायोजन	4533024	230878525
योजनागत-मानव संसाधन विकास मन्त्रालय अव्ययित शेष का समायोजन	29094492	69534759
मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के अतिरिक्त अन्य अव्ययित शेष का समायोजन	0	1345956
कुल	103654850852	98986257499

स्थान:

दिनांक:

मुरारीलाल
अवर सचिव

जितेन्द्र सरोहा
संयुक्त सचिव

उपमन्यु बसु
वित्तीय सलाहकार

प्रो० जसपाल सिंह सन्धू
सचिव

अनुसूचि-7

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूचि जो 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के आय एवं व्यय के अंश के रूप में है-

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
निवेश एवं जमा पर आय	-	-
स्थायी निधि/एफडीआर से प्राप्त ब्याज	124190	599489
स्थायी सामान्य भविष्य निधि/एफडीआर से प्राप्त ब्याज	28880041	31828743
अंशदायी भविष्य निधि/एफडीआर से प्राप्त ब्याज	215523	286168
सामान्य भविष्य निधि प्रतिभूति जमा से ब्याज	81416	0
बचत बैंक खातों से प्राप्त ब्याज	0	0
बचत बैंक से प्राप्त ब्याज -गैर योजनागत -मानव संसाधन विकास मन्त्रालय	244622531	122139054
बचत बैंक से प्राप्त ब्याज - योजनागत -मानव संसाधन विकास मन्त्रालय	666444339	554371008
बचत बैंक से प्राप्त ब्याज -मा. सं. वि. मन्त्रालय (ई-कन्टेंट)	0	30612308
राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति-अ.जा. बचत बैंक से ब्याज	11857552	53349497
राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति-अ.ज.जा. बचत बैंक से ब्याज	33887444	28727498
मौ.आ.रा.अध्येतावृत्ति बचत बैंक से ब्याज	30459552	19687086
सांस्कृतिक मन्त्रालय बचत बैंक से ब्याज	45279	0
स्थायी निधि बचत बैंक से ब्याज	163572	129815
राष्ट्रीय सेवा योजना बचत बैंक से ब्याज	290419	279884
बचत बैंक फोर्ड फाउण्डेशन से ब्याज	76244	73479
सामान्य भविष्य निधि (बचत) से ब्याज	1020362	1979913
अंशदायी भविष्य निधि (बचत) से ब्याज	41739	239799
नवीन पेंशन योजना (बचत) से ब्याज	7641	11722
कुल	1018217843	844315463

स्थान:

दिनांक:

मुरारीलाल
अवर सचिव

जितेन्द्र सरोहा
संयुक्त सचिव

उपमन्यु बसु
वित्तीय सलाहकार

प्रो० जसपाल सिंह सन्धू
सचिव

अनुसूचि-8

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूचि जो 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के आय एवं व्यय के अंश के रूप में है-

(राशि रुपयों में)

अनुसूचि 8- अन्य विविध आय	चालू वर्ष	गत वर्ष
अन्य प्राप्तियाँ- गैर योजनागत	-	-
अग्रिम पर ब्याज-गैर योजनागत	632033	719365
अग्रिम पर ब्याज- प्रतिनियुक्ति	100389	0
यूजीसी सूचना की बिक्री- गैर योजनागत	98458	221341
सी.जी.एच.एस. अंशदान- कर्मचारी	941275	962559
सी.जी.एच.एस. अंशदान- पेंशन भोगी	561000	872796
अवकाश वेतन-पेंशन अंशदान	834052	4901835
कुल	3167207	7677896

स्थान:

दिनांक:

मुरारीलाल
अवर सचिव

जितेन्द्र सरोहा
संयुक्त सचिव

उपमन्यु बसु
वित्तीय सलाहकार

प्रो० जसपाल सिंह सन्धू
सचिव

अनुसूचि-9

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूचि जो 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के आय एवं व्यय के अंश के रूप में है-

(राशि रुपयों में)

व्यवस्थापन व्यय	चालू वर्ष	चालू वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल	कुल
1. वेतन	-	-	-	-
(ए) वेतन अधिकारी	48273542	7870495	56144037	54572455
(बी) वेतन व्यवस्थापन	55530031	2340066	57870097	66203254
2. भत्ते एवं मानदेय	-	-	0	0
(ए-1) मंहगाई भत्ता	84201238	6348226	90549464	73117695
(ए-2) उत्पादकता सम्बद्ध बीमा	923082	51810	974892	1016086
(ए-3) यातायात भत्ता	15943612	1333706	17277318	14627644
(बी) मकान किराया भत्ता/नागरिक क्षतिपूरक भत्ता	18944877	1640984	20585861	19148248
(सी) धुलाई भत्ता	58050	900	58950	60480
(डी) शिशु शिक्षा भत्ता	0	0	0	112680
(ई) अनुशिक्षण शुल्क	3493925	310639	3804564	4178100
(एफ) चिकित्सकीय प्रतिपूर्ति	24430854	480369	24911223	22937692
(जी) समयोपरि भत्ता	158321	0	158321	207550
(एच) मानदेय	1025375	25000	1050375	1051200
(आई) यातायात भत्ता	0	0	0	32480
(जे) अवकाश यात्रा छूट अधिकारी	2320859	169992	2490851	1891059
(के) व्यवस्थापन से सम्बद्ध अवकाश यात्रा छूट	1424705	26231	1450936	2116461
(एल) आई ए अधिकारी	5364231	1940460	7304691	4148271
(एम) यात्रा भत्ता स्थापना	1329435	0	1329435	670726
(ओ) अवकाश नकदी करण	11108136	37358	11145494	12315756
3. अंशदान	0	0	0	0
(ए) सीजीएचएस अंश दान	0	0	0	5040704
(बी) पेंशन एवं अवकाश वेतन	581321	83756	665077	919421
(सी) अंशदायी भविष्य निधि ब्याज/अंशदान	36858	4597	41455	1050779
(डी-1) सामान्य भविष्य निधि ब्याज/अंशदान	28323644	259000	28582644	27286416
(डी-2) जमा राशि से सम्बद्ध बीमा	60000	0	60000	175729
(ई) नवीन पेंशन योजना	1274895	275831	1550726	1057491
(एफ) ब्याज- नवीन पेंशन योजना	0	0	0	13885
(जी) पेंशन एवं ग्रेच्युटी	133549459	0	133549459	121604140
(एच) प्रतिनियुक्ति भत्ता	0	0	0	16615
कुल	438356450	23199420	461555870	435573017

स्थान:

दिनांक:

मुरारीलाल
अवर सचिव

जितेन्द्र सरोहा
संयुक्त सचिव

उपमन्थु बसु
वित्तीय सलाहकार

प्रो० जसपाल सिंह सन्धू
सचिव

अनुसूचि-10

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूचि जो 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के आय एवं व्यय के अंश के रूप में है-

(राशि रुपयों में)

	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	चालू वर्ष	गत वर्ष
प्रशासनिक व्यय			कुल	कुल
1. आयोग के सदस्यों को यातायात एवं मंहगाई भत्ता	-	-	-	-
(ए) आयोग/गैर सरकारी सदस्यों को यातायात एवं मंहगाई भत्ता	37106239	5101394	42207633	6609933
(बी) आयोग के एवं गैर सरकारी सदस्यों को मानदेय	4296420	890000	5186420	40613259
2. अन्य प्रभार	0	0	0	0
(ए) प्रकाशन एवं लेखन सामग्री	8299730	1680375	9980105	10565075
(बी) डाक टिकट	3283079	1545533	4828612	3615391
(सी) दूरभाष	2990088	679929	3670017	3230321
(डी) विद्युत एवं जल प्रभार	12307991	1096763	13404754	12356223
(ई) वर्दियां एवं पोशाकें	464894	0	464894	0
(एफ) मोटर वाहन/मोटर साइकिल रखरखाव लेखा	5176999	1344324	6521323	3928702
(जी) मनोरंजन व्यय	11085477	1505624	12591101	9544251
(एच) विविधि कार्यालय व्यय	94277228	4732921	99010149	7293987
(आई) प्रकाशन व्यय	2868370	5204	2873574	711415
(एम) यूजीसी भवन रखरखाव	0	275526	275526	3020982
(ओ) विज्ञापन व्यय	10736203	33373	10769576	6258640
(पी) भाड़ा दरें एवं कर	0	3600	3600	24341
(क्यू) विभागीय प्रभार	0	115396	115396	303297
(आर) लेखा परीक्षण शुल्क	277250	1943825	2221075	525869
(एस) कल्याण निधि	0	11798	11798	142100
(वी) विधिक व्यय	35423340	76488	35499828	22366401
(डब्ल्यू) सुरक्षा एवं सफाई व्यय	7686295	1253505	8939800	8186902
(एक्स) संविदा सेसम्बद्ध वेतन पर व्यय	37930852	12369964	50300816	43175919
अग्रिम	-	1100000	1100000	-
कुल	274210455	35765542	309975997	182473008

स्थान:

दिनांक:

मुरारीलाल
अवर सचिव

जितेन्द्र सरोहा
संयुक्त सचिव

उपमन्यु बसु
वित्तीय सलाहकार

प्रो० जसपाल सिंह सन्धू
सचिव

अनुसूचि-11

वर्ष 2013-14 की परियोजनाओं हेतु विभिन्न मन्त्रालयों द्वारा दी गई निधि

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	योजना	मन्त्रालयों के नाम	राशि	समायोजन-राशि	कुल
		(ए) गैर-योजना				
1.	गैर योजना-लेखा शीर्ष (01 से 09)	गैर-योजनागत निधि-मा.सं.वि.मं.	मा.सं.वि.मं.	50,998,421,205	4,533,024	51,002,954,229
	कुल (गैर योजनागत)			50,998,421,205	4,533,024	51,002,954,229
		(बी) योजनागत				
2.	योजनागत लेखा शीर्ष (क्षेत्र 1 से 10 तक)	योजनागत निधि-मा.सं.वि.मं.	मा.सं.वि.मं.	50,447,960,124	29,094,492	50,477,054,616
3.	योजनागत-लेखा शीर्ष (11)	राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति-अजा.	सामा. न्याय एवं अधि.मं.	652,894,992	0	652,894,992
4.	यायेजनागत लेखा शीर्ष (12)	राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति-अ.ज.जा.	जन जातीय मामलों का मन्त्रालय	271,930,204	0	271,930,204
5.	योजनागत लेखा शीर्ष (13)	मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	अल्पसंख्यक मामलों को मन्त्रालय	464,336,995	0	464,336,995
	कुल (योजनागत)			51,837,122,315	29,094,492	91,866,216,807
	सकल योग (ए+बी)			102,835,543,520	33,627,516	102,869,171,036

स्थान:

दिनांक:

मुरारीलाल
अवर सचिव

जितेन्द्र सरोहा
संयुक्त सचिव

उपमन्त्रु बसु
वित्तीय सलाहकार

प्रो० जसपाल सिंह सन्धू
सचिव

1- गैर योजनागत- लेखा शीर्ष (01 से 09)

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय

गैर योजनागत निधि-क्षेत्रवार, वित्त वर्ष-2013-14

क्षेत्र (गैर-यो.)	विवरण	राशि-शीर्ष-31/35/36	समायोजन-31/35/36	कुल
04	ईएमएमआरसी एवं सीईसी	306118894	4533024	310651918
05	अन्तर विश्वविद्यालय केन्द्र एवं सीईसी	866320000	0	866320000
06	अनुरक्षण अनुदान-पंजाब विश्वविद्यालय	1630000000	0	1630000000
07	अनुरक्षण अनुदान-मानित विश्वविद्यालय	2362514000	0	2362514000
08	अनुरक्षण अनुदान- दिल्ली महावि./बीएचयू	12064503311	0	12064503311
09	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान	33768965000	0	33768965000
	कुल (गैर-योजनागत)	50998421205	4533024	51002954229

2-योजनागत-लेखा शीर्ष (क्षेत्र 1 से 10 तक) योजनागत निधि-क्षेत्रवार मानव संसाधन विकास मन्त्रालय

योजनागत-मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय

क्षेत्र-(मुख्या.)	विवरण	राशि-शीर्ष-31/35/36	समायोजन-31/35/36	कुल
क्षेत्र-1	समुच्चित अनुदान(के0वि0 एवं दिल्ली वि0वि0) वि0 वि	22828436656	0	22828436656
क्षेत्र-2	यूजीसी-योजनाएँ	8804852976	0	8804852976
क्षेत्र-3	लैंगिक/समानता	9352439	40710	9393149
क्षेत्र-4	गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता	5050275496	3205358	5053480854
क्षेत्र-5	शोध योजनाएँ	2618986962	25793163	2644780125
क्षेत्र-6	सापेक्ष एवं मूल्य आधारित शिक्षा	59936889	0	59936889
क्षेत्र-7	सूचना कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी समेकन	0	0	0
क्षेत्र-8	अभिशासन एवं कुशलता संवर्धन	199862	0	199862
क्षेत्र-9	प्रतिबद्ध देयताएँ (गत यूजीसी योजनाएँ)	478139901	55261	478195162
क्षेत्र-10	नई योजनाएँ	2729425	0	2729425
	कुल	39852910606	29094492	39882005098

क्षेत्र-(क्षे.का.)	विवरण	राशि-शीर्ष-31/35/36	समायोजन-31/35/36	कुल
क्षेत्र-2	समुच्चित अनुदान	5751384465	0	5751384465
क्षेत्र-3	यूजीसी-योजनायें	482691917	0	482691917
क्षेत्र-4	लैंगिक समानता	1539223795	0	1539223795
क्षेत्र-5	गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता	508870938	0	508870938
क्षेत्र-9	प्रतिबद्ध देयतायें (गत यूजीसी योजनायें)	2312878403	0	2312878403
	कुल	10595049518	0	10595049518
	कुल (मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय)	50447960124	29094492	50477054616

**3-योजनागत-लेखा शीर्ष (क्षेत्र-11) राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति -अजा.
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय
(क्षेत्र एवं शीर्षवार)**

लेखा-शीर्ष	योजना	राशि	समायोजन	कुल
11	राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति अ.जा.	652894992	0	652894992
कुल		652894992	0	652894992

**4-योजनागत-लेखा शीर्ष (क्षेत्र-12) राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति
अ.ज.जा.जनजातीय मामलों का मन्त्रालय
(क्षेत्र एवं शीर्षवार)**

लेखा-शीर्ष	योजना	राशि	समायोजन	कुल
12	राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति-अ.ज.जा.	271930204	0	271930204
कुल		271930204	0	271930204

**5-योजनागत-लेखा शीर्ष (क्षेत्र-13) मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति
अल्पसंख्यक मामलों का मन्त्रालय
(क्षेत्र एवं शीर्षवार)**

लेखा-शीर्ष	योजना	राशि	समायोजन	कुल
13	मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	464336995	0	464336995
कुल		464336995	0	464336995

स्थान:

दिनांक:

मुरारीलाल
अवर सचिव

जितेन्द्र सरोहा
संयुक्त सचिव

उपमन्थु बसु
वित्तीय सलाहकार

प्रो० जसपाल सिंह सन्धू
सचिव

गैर- योजनागत	विवरण	शीर्ष-31	समा.-31	शीर्ष-35	समा.-35	शीर्ष-36	समा.-36	कुल
04	ईएमएमआरसी एवं सीईसी	37512458		61613210		206993226	4533024	310651918
05	अन्तर्विश्व वि० एवं सीईसी	21930680		190268720		654120600		866320000
06	राज्य/मानित वि० वि० को समुचित अनुदान	0		0		1630000000		1630000000
07	मानित वि०/वि० संस्थानों को समुचित अनुदान	291914000		278200000		1792400000		2362514000
08	संघटक/सह-संबद्ध महाविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान	2246262000		189390000		9628851311		
09	केन्द्रीय विश्व वि० को समुचित अनुदान	10943161000		2223996000		20601808000		33768965000
	कुल (गैर-योजनागत)	13540780138	0	2943467930	0	34514173137	4533024	51002954229

अ. शीर्षवार विवरण- गैर योजनागत-मुख्यालय वित्तीय वर्ष 2013-14

गैर- योजनागत	विवरण	शीर्ष-31	समा.-31	शीर्ष-35	समा.-35	शीर्ष-36	समा.-36	कुल
04	ईएमएमआरसी एवं सीईसी	37512458		61613210		206993226	4533024	310651918
05	अन्तर्विश्व वि० एवं सीईसी	21930680		190268720		654120600		866320000
06	राज्य/मानित विश्व वि० को समुचित अनुदान	0		0		1630000000		1630000000
07(1)	मानित वि०/वि० संस्थानों को समुचित अनुदान	291914000		278200000		1792400000		2362514000
08(1)	दिल्ली महाविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान	2219203000		181890000		9367721311		11768814311
08(2)	बीएचयू महाविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान	27059000		7500000		261130000		295689000
09	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को समुचित अनुदान	10943161000		2223996000		20601808000		33768965000
	कुल (गैर-योजनागत)	13540780138	0	2943467930	0	34514173137	4533024	51002954229

योजनागत- लेखा शीर्ष (01 से 08) गैर योजनागत-मुख्यालयवित्तीय वर्ष 2013-14

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय

योजनागत (मुख्या.)	विवरण	शीर्ष-31	समा.-31	शीर्ष-35	समा.-35	शीर्ष-36	समा.-36	कुल
क्षेत्र-1	समुच्चित अनुदान(के0वि0वि0 एवं दिल्ली वि0वि0)	6624432300	0	12774219356	0	3429785000	0	22828436656
क्षेत्रीय कार्यालय	समुच्चित अनुदान(के0वि0वि0 एवं दिल्ली वि0वि0)	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	6624432300	0	12774219356	0	3429785000	0	22828436656
क्षेत्र-2	यूजीसी योजनायें	2610682134	0	6194170842	0	0	0	8804852976
क्षे0का0	यूजीसी योजनायें	1473248828	0	4221252379	0	56883258	0	5751384465
	कुल	4083930962	0	10415423221	0	56883258	0	14556237441
क्षेत्र-3	लैंगिक/समानता	8189939	2661	1162500	38049	0	0	9393149
क्षे0का0	लैंगिक/समानता	0	0	482691917	0	0	0	482691917
	कुल	8189939	2661	483854417	38049	0	0	492085066
क्षेत्र-4	गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता	2021575324	2610717	3005616155	594641	23084017	0	5053480854
क्षे0का0	गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता	1188361364	0	215403097	0	135459334	0	1539223795
	कुल	3209936688	2610717	3221019252	594641	158543351	0	6592704649
क्षेत्र-5	शोध योजनायें	2412155444	14169292	206831518	11623871	0	0	2644780125
क्षे0का0	शोध योजनायें	226349710	0	282521228	0	0	0	508870938
	कुल	2638505154	14169292	489352746	11623871	0	0	3153651063
क्षेत्र-6	सापेक्ष एवं मूल्य आधारित शिक्षा	59936889	0	0	0	0	0	59936889
क्षे0का0	सापेक्ष एवं मूल्य आधारित शिक्षा	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	59936889	0	0	0	0	0	59936889
क्षेत्र-7	सूचना, कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी समेकन	0	0	0	0	0	0	0
क्षे0का0	सूचना कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी समेकन	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	0	0	0	0	0	0	0
क्षेत्र-8	अभिशासन एवं कुशलता क्रियान्वयन	199862	0	0	0	0	0	199862
क्षे0का0	अभिशासन एवं कुशलता क्रियान्वयन	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	199862	0	0	0	0	0	199862
क्षेत्र-9	प्रतिबद्ध देयतायें (पुरानी यूजीसी योजनायें)	78429473	0	399710428	55261	0	0	478195162
क्षे0का0	प्रतिबद्ध देयतायें (पुरानी यूजीसी योजनायें)	65907938	0	2246970464	0	0	0	2312878403
	कुल	144337411	0	2646680892	55261	0	0	2791073565
क्षेत्र-10	नई योजनायें	2712500	0	0	0	16925	0	2729425
क्षे0का0	नई योजनायें	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	2712500	0	0	0	16925	0	2729425
क्षेत्र-(1-10)	कुल	16772181706	16782670	30030549884	12311822	3645228534	0	50477054616

शीर्षवार विवरण बी-योजनागत-मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय वित्तीय वर्ष. 2013-14

लेखा शीर्ष	विवरण	शीर्ष-31	समा-31	शीर्ष-35	समा.-35	शीर्ष-36	समा.-36	कुल
क्षेत्र-1	समुच्चित अनुदान केन्द्रीय विश्वविद्यालय							
1ए(प)	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	4465016000	0	8894822000	0	2254785000	0	15614623000
1ए(पप)	केन्द्रीय विश्वविद्यालय अजा.	891000200	0	1628977000	0	450000000	0	2969977200
1ए(पपप)	केन्द्रीय विश्वविद्यालय अ.ज.जा.	445500100	0	813899700	0	225000000	0	1484399800
1ए(पअ)	केन्द्रीय विश्वविद्यालय-उ०पू०क्ष० कार्यालय	511600000	0	806000000	0	387500000	0	1705100000
1ए(अ)	केन्द्रीय विश्वविद्यालय-उ०पू०क्ष०का (अजा.)	990000000	0	156000000	0	750000000	0	330000000
1ए(अप)	केन्द्रीय विश्वविद्यालय-उ०पू०क्ष०का० (अ.ज.जा)	494000000	0	780000000	0	375000000	0	1649000000
1बी(प)	मानित विश्वविद्यालय	125281000	0	310891683	0	0	0	436172683
1बी(पप)	मानित विश्वविद्यालय-अ.जा.	25536000	0	56927337	0	0	0	82463337
1बी(पपप)	मानित विश्वविद्यालय- अ.ज.जा.	12099000	0	28701636	0	0	0	40800636
		6624432300	0	12774219356	0	3429785000	0	22828436656
क्षेत्र-2	यूजीसी योजनायें							
२ए	राज्य विश्वविद्यालयों को समुच्चित अनुदान	1336005923	0	3172061723	0	0	0	4508067646
२बी	महाविद्यालयों को समुच्चित अनुदान	724828127	0	2149163480	0	0	0	2873991607
२सी (प)	यूजीसी (उ०पू०क्ष०) उ.पू.क्षे.का. गुवाहाटी	0	0	0	0	0	0	0
२सी (प)ए	यूजीसी (उ०पू०क्ष०)-मुख्यालय	587819994	0	1145960000	0	18788000	0	1752567994
२सी (प)बी	यूजीसी (उ०पू०क्ष०)- प्रतिबद्ध देयतायें	1849000	0	246671000	0	0	0	248520000
२सी (पप)	यूजीसी (उ०पू०क्ष०)अजा.-उ.पू.क्षे.का.गुवाहाटी	24050000	0	128750000	0	2200085	0	155000085
२सी (पप)ए	यूजीसी (उ०पू०क्ष०)अजा.-मुख्यालय	48029032	0	120000000	0	0	0	168029032
२सी (पपप)	यूजीसी (उ०पू०क्ष०) अ.ज.जा.-उ.पू.क्षे.का.	19925000	0	149000000	0	3200000	0	172125000
२सी (पपप)ए	यूजीसी (उ०पू०क्ष०) अ.ज.जा.-मुख्यालय	24014515	0	60000000	0	0	0	84014515
२डी (प)	अ.जा. के लिए विशेष घटक	877100183	0	2150485251	0	20704097	0	3048289531
२डी (पप)	अ.ज.जा. के लिए विशेष घटक	440309188	0	1093331767	0	11991076	0	1545632031
	कुल	4083930962	0	10415423221	0	56883258	0	14556237441

क्षेत्र-3	लिंग/समानता	शीर्ष-31	समा-31	शीर्ष-35	समा-35	शीर्ष-36	समा-36	कुल
3 (अप)	महाविद्यालयों के लिए महिला छात्रावास	0	0	482691917	0	0	0	482691917
3 (अपप)	महिला अध्ययन	8139481	2661	1162500	38049	0	0	9342691
3 (अपपप)	अ.जा./अ.ज.जा. के लिए विशेष प्रकोष्ठ	50458	0	0	0	0	0	50458
		8189939	2661	483854417	38049	0	0	492085066
सेक्टर-4	गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता							
4 (प)	विशिष्ट उद्देश्य के लिए अनुदान	0	0	0	0	0	0	0
4 (पप)	स्वशासी महाविद्यालय	228694326	0	26041597	0	0	0	254735923
4 (पपप)	उत्कृष्टता की सम्भाव्यता वाला विश्वविद्यालय	48825000	0	430512500	0	0	0	479337500
4 (पअ)	उत्कृष्टता की सम्भाव्यता वाला महाविद्यालय	50096000	0	308419000	0	0	0	358515000
4 (अपप)	यात्रा अनुदान	21075362	0	0	0	0	0	21075362
4 (अपपप)	सांस्कृतिक आदान-प्रदान	9624152	0	0	0	11686939	0	21311091
4 (गप)	अकादमिक स्टाफ महाविद्यालय	506435318	0	15655000	0	0	0	522090318
4 (गपप)	अन्तर्विश्वविद्यालय केन्द्र	469334979	0	752084877	0	0	0	1221419856
4 (गपप)	अंकीय भण्डारण विश्वविद्यालय	0	0	1433750000	0	0	0	1433750000
4 (गपपप)	विशेषज्ञ सहायता कार्यक्रम	50661128	594641	50193520	0	0	0	101449289
4 (गपपप)इ	मानविकी एवं समाज विज्ञान	14166293	0	690758	0	0	0	14857051
4 (गपअ)	राष्ट्रीय सुविधायें	5872000	0	13698000	0	0	0	19570000
4 (गअ)	संकाय विकास कार्यक्रम	64893510	0	0	0	135459334	0	200352844
4 (गअप)	आन्तरिक गुणवत्ता	757446000	0	0	0	189361500	0	946807500
4 (गअपप)	न्यूनतम अध्येता के लिए विशिष्ट मानदेय	877258	0	0	0	0	0	877258
4 (गअपपप)	व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति	465108644	2610717	0	0	0	0	467719361
4 (गपग)	सिंह ओबामा ज्ञान सम्बन्धी समझौता	85469484	0	0	0	0	0	85469484
4 (गपग)	रमन स्नाकोत्तर अध्येतावृत्ति	182290381	0	0	0	0	0	182290381
4 (गग)	रैगिंग विरोधी उपाय	0	0	12397078	0	0	0	12397078
4 (गगप)	इन्दिरा गाँधी स्नाकोत्तर छात्रवृत्ति	62862984	0	0	0	0	0	62862984
4 (गगपप)	अजा./अ.ज.जा. के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में स्नाकोत्तर अध्ययन	31137102	0	0	0	0	0	31137102
4 (गगपपप)	शीर्ष स्थान प्राप्त कर्ताओं के लिए स्नाकोत्तर अध्ययन	15871137	0	0	0	0	0	15871137
4 (गगपअ)	कार्यशाला/विचार गोष्ठी/सम्मेलन	138808130	0	0	0	0	0	138808130
	कुल	3209549188	3205358	3043442330	0	336507773	0	6592704649

क्षेत्र-5	शोध योजना	शीर्ष-31	समा-31	शीर्ष-35	समा.-35	शीर्ष-36	समा.-36	कुल
5 (प)	मानविकी एवं समाजविज्ञान में शोध अध्येतावृत्ति	0	0	0	0	0	0	0
5 (पप)	शोध वैज्ञानिक	33676094	258012	0	0	0	0	33934106
5 (पपप)	शोधोत्तर अध्येतावृत्ति-अजा.	63830791	26684	0	0	0	0	63857475
5 (पअ)	महिलाओं के लिए शोधोत्तर अध्येतावृत्ति	52903105	287293	0	0	0	0	53190398
5 (अ)	नेट अर्हता प्राप्त के लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति	1382957735	12952195	0	0	0	0	1395909930
5 (अप)	कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति एवं शोध सहायक	4209400	0	0	0	0	0	4209400
5 (अपप)	वृहत शोध योजना	0	0	0	0	0	0	0
5 (अपप)	विज्ञान	44703588	0	24275000	0	0	0	68978588
5 (अपप)इ	मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान	76805032	0	11418500	1099996	0	0	89323528
5 (अपपप)	महाविद्यालयों के लिए लघु शोध योजना	226349710	0	282521228	0	0	0	508870938
5 (पग)	अध्यापकों को शोध पुरस्कार	52079348	240600	0	404508	0	0	52724456
5 (ग)	मूलभूत वैज्ञानिक शोध के लिए अनुदान	670483523	0	171138018	10523875	0	0	852145416
5 (गप)	अमेरिट्स अध्येतावृत्ति	27531872	0	0	0	0	0	27531872
5 (गपप)	अमेरिट्स अध्येतावृत्ति	2974956	0	0	0	0	0	2974956
	कुल	2638505154	13764784	489352746	12028379	0	0	3153651063
क्षेत्र-6	सूचना, कम्प्यूटर एवं प्रौद्योगिकी समेकन							
6 (प)	शिक्षा में करियर परामर्श सहित करियर अभिमुखी वृत्ति							0
6 (पप)	क्षेत्रीय अध्ययन	2417350	0	0	0	0	0	2417350
6 (पपप)	युग प्रवर्तकों पर विशेष अध्ययन	2925626	0	0	0	0	0	2925626
6 (पअ)	व्यावसायिक शिक्षा को प्रस्तावित करना	54593913	0	0	0	0	0	54593913
6 (अ)	सामाजिक बहिष्करण एवं इसकी नीति अध्ययन का केन्द्र	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	59936889	0	0	0	0	0	59936889
क्षेत्र-7	वर्ष के दौरान कोई भी कार्य सम्पादित नहीं हुआ	0	0	0	0	0	0	0
क्षेत्र-8	उच्च शिक्षा एवं यूजीसी कार्यालय में ई-गवर्नेन्स							
8 (प)	उच्च शिक्षा में ई-गवर्नेन्स	199862	0	0	0	0	0	199862
क्षेत्र-9	यूजीसी की (पुरानी योजनायें) प्रतिबद्ध देयतायें	144337411		2646680893	55261			2791073565
क्षेत्र-10	नवीन योजनायें	0	0	2729425	0			2729425
	कुल योग (मुख्यालय)	16769081705	16972803	29855702388	12121689	3823176031	0	50477054616

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
वित्तीय वर्ष 2013-14 में बैंक शेष

बैंक खाते- मुख्यालय	मन्त्रालय	चालू वर्ष (रु०)	गत वर्ष (रु०)
		31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
केनरा बैंक खाता संख्या-0157.101.17339-डिप्लोमैटिक एनक्लेव	मा. सं. वि. मं.	3055107678	862626895
बैंक आफ इण्डिया खाता संख्या-603010900006490-हंस भवन	मा. सं. वि. मं.	311824425	1318647544
बैंक आफ बड़ौदा खाता संख्या-058601.0000.6818-संसद मार्ग	मा. सं. वि. मं.	271029576	1276216792
पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या-11200.10945-ईसीई हाउस	मा. सं. वि. मं.	262844909	1650565135
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया खाता संख्या- 1033009587-प्रेस एरिया	मा. सं. वि. मं.	321905559	1471485563
केनरा बैंक खाता संख्या-8627.101.348-यूजीसी शाखा	मा. सं. वि. मं.	172398419	69269497
केनरा बैंक खाता संख्या-8627101001130-यूजीसी खाखा-ई कन्टेंट	मा. सं. वि. मं.	804235144	773005733
केनरा बैंक खाता संख्या-3525101000402-पीडीएफ-अ.जा./अ.ज.जा.	मा. सं. वि. मं.	163426739	67856344
केनरा बैंक खाता संख्या-3525101000403-पीजीएस (पीसी)-अजा./अ.ज.जा.	मा. सं. वि. मं.	120674730	85533808
केनरा बैंक खाता संख्या-3525101000404-पीजीएस- यूआरएच	मा. सं. वि. मं.	30553360	10762870
केनरा बैंक खाता संख्या-3525101000762	मा. सं. वि. मं.	84294862	0
केनरा बैंक खाता संख्या-8627101001671 (इण्डो जर्मन)	मा. सं. वि. मं.	68472679	0
केनरा बैंक खाता संख्या-3525101000763	मा. सं. वि. मं.	112415188	0
केनरा बैंक खाता संख्या-3525101000764	मा. सं. वि. मं.	127125390	0
केनरा बैंक खाता संख्या-3525101000820	मा. सं. वि. मं.	77918372	-
केनरा बैंक खाता संख्या-3525101000407-आजीपीजीएस-एसजीसी	मा. सं. वि. मं.	140530981	57894691
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया खाता संख्या-511 नया खाता सं० 11084241754	पेंशन	45232559	38024220
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया खाता संख्या-(505) नया खाता सं० 00000011084231224	पेंशन	652316	3702463
केनरा बैंक खाता संख्या-0157.102.21093-डिप्लोमैटिक एनक्लेव	स्थायी निधि	4189770	3381470
केनरा बैंक खाता संख्या-8627.101.608-यूजीसी शाखा	राष्ट्रीय सेवा योजना	7479009	7188590
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया खाता संख्या-686/नया खाता संख्या- 11084242464	फोर्ड फाउण्डेशन	1963480	1887236
केनरा बैंक खाता संख्या-3525101000405-राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति- अ.जा.	सामा. न्या. एवं अधि. मंत्र.	194367733	580984224
केनरा बैंक खाता संख्या-3525101000406-राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति- अ.ज.जा.	जनजातीय मन्त्रालय	700574548	930143879
केनरा बैंक खाता संख्या-3525101000181-(मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति)	अल्पसंख्यक मन्त्रालय	841562983	775440426
केनरा बैंक खाता संख्या-8627101001500	सांस्कृतिक मन्त्रालय	45279	0
कुल- (मुख्यालय)		7920825689	9984617380

बैंक खाते-क्षेत्रीय कार्यालय	मन्त्रलय	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
1. क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद			
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद खाता संख्या-10177097711	मा. सं. वि. मं.	888531	2890261
केनरा बैंक खाता संख्या-53069	मा. सं. वि. मं.	36198522	61063289
केनरा बैंक खाता संख्या-58263	मा. सं. वि. मं.	1282972	-
कुल		38370025	63953550
2. क्षेत्रीय कार्यालय-पुणे			
बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या- यूजीसी-98060100000004	मा. सं. वि. मं.	6746156	2125877
केनरा बैंक खाता संख्या- 20153	मा. सं. वि. मं.	6034454	239539
कुल		12780610	2365416
3. क्षेत्रीय कार्यालय-गुवाहाटी			
केनरा बैंक खाता संख्या-1861101004564	मा. सं. वि. मं.	80635321	6325106
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया खाता संख्या-0110050319	मा. सं. वि. मं.	0	0
केनरा बैंक खाता संख्या-31222235725	मा. सं. वि. मं.	12911406	59492167
कुल		93546726	65817273
4. क्षेत्रीय कार्यालय-कोलकाता			
पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या-1625000100953235	मा. सं. वि. मं.	1639483	10111021
केनरा बैंक खाता संख्या-11380	मा. सं. वि. मं.	141317	141317
कुल		1780800	10252338
5. क्षेत्रीय कार्यालय-बंगलौर			
सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया खाता संख्या- 1101717823	मा. सं. वि. मं.	7347510	16852770
केनरा बैंक खाता संख्या-0431101033961	मा. सं. वि. मं.	1609313	1475481
कुल		8956823	18328251
6. क्षेत्रीय कार्यालय-भोपाल			
केनरा बैंक खाता संख्या-7601	मा. सं. वि. मं.	2472623	17655785
केनरा बैंक खाता संख्या-7602	मा. सं. वि. मं.	170821823	152452357
यूनियन बैंक आफ इण्डिया खाता संख्या-3371	मा. सं. वि. मं.	62872642	9578265
कुल		236167089	179686407
समग्र जोड़ (मुख्यालयक्षेत्रीय कार्यालय)		8312427762	10325020616

स्थान:

दिनांक:

मुरारीलाल
अवर सचिव

जितेन्द्र सरोहा
संयुक्त सचिव

उपमन्यु बसु
वित्तीय सलाहकार

प्रो० जसपाल सिंह सन्धू
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों के अंश के रूप में अनुसूचि

अनुसूचि: 12 - महत्वपूर्ण लेखे नीतियाँ

1. लेखा परिपाटी

(अ) यदि अन्यथा अभिव्यक्त न किया गया तो यह समस्त वित्तीय विवरण तथ्यात्मक लागत परिपाटी एवं मुख्यतः लेखन की उपचित प्रणाली पर आधारित है।

2. अचल परिसम्पत्ति एवं अवमूल्यन

(अ) अचल परिसम्पत्तियों को अधिग्रहण मूल्य एवं अधिग्रहण से सम्बन्ध आकस्मिक एवं प्रत्यक्ष व्ययों के आधार पर माना जाता है।

(ब) आयकर अधिनियम अनुसूचि-4 के अनुसार अचल परिसम्पत्तियों को निबल ब्लाक तथा अवमूल्यन दर के अनुसार माना जाता है।

(स) अचल परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन संघटित अवमूल्यन को कम करके किया जाता है। अचल परिसम्पत्तियों का अवमूल्यन लिखित मूल्यांकन प्रणाली- जैसा कि निम्नांकित दरों के अनुसार व्यक्त है -के आधार पर किया जाता है:

1. फर्नीचर ए वं उपस्कर	10 प्रतिशत	2. विद्युत उपकरण	15 प्रतिशत
3. कम्प्यूटर परिधीय	60 प्रतिशत	4. पुस्तकालय पुस्तकें एवं पत्रिकायें	30 प्रतिशत
5. मोटर वाहन	15 प्रतिशत		

3. राजस्व स्वीकृति

(अ) विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्राप्त किये गये अनुदान आय के रूप में स्वीकार किये जाते हैं।

4. विदेशी मुद्रा लेन-देन

(अ) लेनदेन की तिथि पर जो विनिमय दर विद्यमान थी उसे उस समय की विदेशी मुद्रा के परिगणन में किये गये लेनदेन के अनुसार माना जाएगा।

5. सेवानिवृत्ति के लाभ

(अ) किसी भी कर्मचारी के मृत्यु/सेवानिवृत्ति की स्थिति में ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण से जुड़ी देयताओं का कोई प्रावधान नहीं है।

स्थान:

दिनांक:

मुरारीलाल
अवर सचिव

जितेन्द्र सरोहा
संयुक्त सचिव

उपमन्यु बसु
वित्तीय सलाहकार

प्रो० जसपाल सिंह सन्धू
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों के अंश के रूप में अनुसूचि

अनुसूचि: 13-आकस्मिक देयतायें एवं लेखों पर टिप्पण

1. आकस्मिक देयतायें

(अ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विरुद्ध न्यायालय से सम्बद्ध एवं अन्य मामलों की देयताओं के विषय में कोई भी राशियाँ सुनिश्चित नहीं हो पायीं हैं।

2. पूँजीगत प्रतिबद्धतायें

(अ) संस्थान की पूँजीगत प्रतिबद्धताओं-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-को पूँजीगत कायिक निधि को दिनांक 31 मार्च, 2014 के तुलन पत्र में व्यक्त अनुसूचि में दर्शाया गया है।

3. चालू परिसम्पत्तियों, ऋण एवं अग्रिम

(अ) प्रबन्धन के विचारानुसार, चालू परिसम्पत्तियों एवं अग्रिम का मूल्य सामान्य रूप से गतिविधियों अनुसार उपार्जन की स्थिति में होता है, तथा जैसा कि वित्तीय विवरण में संकलित राशि दर्शायी गई है उसी के न्यूनतम समतुल्य होगा।

4. अन्य

(अ) जैसा कि लेखों के वित्तीय विवरण एवं अनुसूचि में यथा आवश्यक दर्शाया गया है तथा जिसमें वित्तीय वर्ष 2013-14 की प्राप्तियाँ एवं भुगतान सम्मिलित हैं, उसके समनुरूप गतवर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया है।

(ब) वित्तीय विवरणों के अन्तर्गत समस्त राशियाँ भारतीय रुपये के निकटतम स्थिति तक पूर्ण कर दिया गया है।

स्थान:

दिनांक:

मुरारीलाल
अवर सचिव

जितेन्द्र सरोहा
संयुक्त सचिव

उपमन्यु बसु
वित्तीय सलाहकार

प्रो० जसपाल सिंह सन्धू
सचिव



सत्यमेव जयते

कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
Office of the Director General of Audit (Central Expenditure)
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110 002
Indraprastha Estate, New Delhi - 110 002

ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर./यू.जी.सी./9-19/2014-15/1679

दिनांक 20.01.2015

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
उच्च शिक्षा विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001

विषय : वर्ष 2013-14 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
महोदया/महोदय

मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2013-14 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करता हूँ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाये कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing Body) द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाये तथा यह भी सुनिश्चित करें 2013-14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करें।

“प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।”

भवदीय,

संलग्नक: यथोपरी


हस्ता -

निदेशक (ए एम जी -IV)

प्रति, प्रमाणित वार्षिक लेखे कि प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित सचिव, विश्वविधालय अनुदान आयोग, 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है। वार्षिक लेखाओं की हिंदी प्रति की 1 प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भेजी जाए।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब ये संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।


संलग्नक:यथोपरी


निदेशक (ए एम जी -IV)

प्रति, प्रमाणित वार्षिक लेखे कि प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (रिपोर्ट -ए.बी.), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 को अग्रेषित की जाती है।

यह महानिदेशक लेखापरीक्षा, केंद्रीय व्यय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक:यथोपरी


निदेशक (ए एम जी-IV)

“प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है।
यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा”

31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लेखों पर भारत के नियन्त्रक एवं महा लेखापरीक्षक की प्रथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

1. हमने, दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (आयोग) के संलग्न तुलन पत्र लेखा तथा उसके आय एवं व्यय/प्राप्तियाँ एवं भुगतान खातों की समापन तिथि तक का लेखा परीक्षण भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तों) के अनुच्छेद 19(2)1971 के अनुसार यूजीसी अधिनियम 1956, अनुच्छेद 19 (3) के साथ संयुक्त करके पढ़ा जायेगा। इन वित्तीय विवरणों में यूजीसी के 6 क्षेत्रीय कार्यालयों का लेखा विवरण भी सम्मिलित है। इनमें से 2 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा 3 आइयूसी का लेखा परीक्षण किया जा चुका है तथा इस रिपोर्ट के लिए उसकी टिप्पणी पर विचार किया गया है।
2. पृथक लेखा परीक्षण रिपोर्ट में लेखाकरण प्रक्रिया से सम्बद्ध भारत के नियन्त्रक एवं महा लेखा परीक्षक के विचार सम्मिलित हैं जो वर्गीकरण, सर्वश्रेष्ठ लेखाकरण प्रविधियों तथा श्रेष्ठ लेखा मानकों, प्रकटीकरण आदि के बारे में है/वित्तीय प्रविष्टियों पर जो विधि, नियमों एवं विनियमों (औचित्य एवं नियमितता) तथा क्षमता सह निष्पादन आदि पहलू यदि विद्यमान हैं तो उससे सम्बद्ध लेखा परीक्षण अवलोकनों को निरीक्षण/रिपोर्ट सी.ई.सी. की ऑडिट रिपोर्ट द्वारा पृथक रूप से दर्शाया जाता है।
3. भारत में लेखापरीक्षण के सामान्य रूप से स्वीकृत मानकों के अनुसार हमने लेखा-परीक्षण निष्पादित किया है। इन मानकों की अनिवार्यता है कि हम लेखा परीक्षण को इस प्रकार नियोजित एवं निष्पादित करें जिससे हमें ऐसा तर्कपूर्ण आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरण त्रुटि रहित हों। किसी भी लेखापरीक्षण में, जाँच पर आधारित उन साक्ष्यों का परीक्षण सम्मिलित होता है जो साक्ष्यवित्तीय विवरणों में सम्मिलित राशि एवं अभिव्यक्तियों का सार्थक करने वाले हों। लेखापरीक्षण में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धान्त तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण के मूल्यांकनके प्रबन्धन द्वारा निर्मित महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के आकलन सहित समस्त घटक सम्मिलित होते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे द्वारा किया गया लेखापरीक्षण अपना मत तर्कपूर्ण आधार पर प्रस्तुत करेगा।
4. हमारे द्वारा किये गये लेखा परीक्षण के आधार पर निम्नवत सूचित किया जाता है कि :-
 - (1) हमने वे सभी जानकारियाँ एवं विवरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे संज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षण के लिए अनिवार्य थे।
 - (2) इस रिपोर्ट में जिस तुलनपत्र एवं आय-व्यय लेखा एवं प्राप्तियाँ एवं भुगतान खातों का निपटान किया गया है उन्हें भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार किया गया है।
 - (3) हमारे विचार में इन बहीखातों के परीक्षण से प्रकट होता है कि आयोग द्वारा बहीखातों का उचित अनुरक्षण किया गया है।
 - (4) यह रिपोर्ट निम्नवत है:

क. तुलन-पत्र

ख. परिसंपत्तियाँ

क.1.1. चिन्हित/स्थायी निधि कोष (अनुसूची-2) रुपये 1.69 करोड़।

लेखों निवेश से प्राप्त निधि के लेखों में आय से सम्बद्ध इनके प्रारूप की अनुसूची-3 के अनुसार अन्य किसी अतिरिक्त आय को सम्बद्ध निधि में सम्मिलित किया जाना चाहिए, जबकि चिन्हित/स्थायी निधि में निवेश की आय को -जो कि

रुपये 6.54 लाख को आयमें दर्शाया गया है परन्तु चिन्हित/ स्थायी निधि कोष में अन्तर्गत नहीं किया गया है। परिणाम स्वरूप स्थायी निधि कोष में न्यूनोक्ति हुई तथा कायिक निधि/पूँजीगत निधि में रु 06.54 लाख की अत्योक्ति हुई।

क.1.2. चालू परिसम्पत्तियाँ एवं प्रावधान (अनुसूचि-3)-रु 036.43 करोड़

उपरोक्त राशि में रु (-) 3.99 लाख की ऋणात्मक राशि सम्मिलित है। इसका शोध एवं समाधान किया जाना चाहिए।

क.2. परिसम्पत्तियाँ

क.2.1. स्थायी परिसम्पत्तियाँ (अनुसूचि-4)-रु 07.36 करोड़

- (i) उपरोक्त में 0.75 एकड़ भूमि का मूल्य सम्मिलित नहीं है जो शहरी मामलों एवं रोजगार मन्त्रालय द्वारा आर्बिट्रिट की गई है। भूमि के लेखों के अभाव से परिसम्पत्तियाँ एवं पूँजीगत निधि में न्यूनोक्ति हुई है।
यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए चिन्हित कुल भूमि एवं भवन क्षेत्र तथा उसकी लागत विवरण के दस्तावेज लेखापरीक्षण अधिकारियों को प्रस्तुत नहीं किये गये थे।
- (ii) यूजीसी ने वर्ष के आरम्भ में रु 05.98 करोड़ राशि की परिसम्पत्तियाँ दर्शायी थीं, जिसमें रु 02.47 करोड़ की स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्य भी शामिल था। इन स्थायी परिसम्पत्तियों पर कोई अवमूल्यन प्रभार नहीं लगाया गया था जिसके परिणाम स्वरूप स्थायी परिसम्पत्तियों पर अत्योक्ति हुई तथा व्यय में न्यूनोक्ति हुई। वर्ष 2008-2009 से लेकर अब तक की पृथक लेखा परीक्षण रिपोर्ट में भी इसका संकेत दिया गया है।
- (iii) सितम्बर, 2013 में एन.आ.सी.एस.आइ. को दी गई 1.68 करोड़ की अग्रिम राशि जो ई-अभिशासन योजना के अन्तर्गत अनुप्रयोग विकास हेतु थी, उसे चालू परिसम्पत्तियों/कार्य प्रगति के अन्तर्गत दर्शाने के स्थान पर स्थायी परिसम्पत्तियों में अतिरिक्त राशि कम्प्यूटर परिधियों के अन्तर्गत दर्शाया गया। इससे परिणामतः स्थायी परिसम्पत्तियों में अत्योक्ति हुई तथा चालू परिसम्पत्तियों में रु 01.68 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।
- (iv) रैगिंग विरोधी सहायता सेवा के सन्दर्भ में रु 028.93 लाख की राशि को कम्प्यूटर परिधियों के अन्तर्गत स्थायी परिसम्पत्तियों के लिए अतिरिक्त रूप से दर्शाया गया है। क्योंकि यह व्यय राशि आय के स्वरूप वाली थी, उसे स्थायी परिसम्पत्तियों में नहीं जोड़ा जाना था। परिणामतः इससे स्थायी परिसम्पत्तियों में अत्योक्ति हुई तथा व्यय में रु 028.93 लाख की न्यूनोक्ति हुई।
- (v) कम्प्यूटर परिधीय रु 0266.04 लाख की अवमूल्यन राशि में प्रभार के रूप में रु 0118.36 लाख (60 प्रतिशत की दर पर) की गई जो आय में रु 028.93 लाख को सम्मिलित करने से तथा रु 0168.34 लाख के अग्रिम भुगतान के परिणाम स्वरूप हुई। इससे व्यय में परिणामतः अत्योक्ति हुई तथा स्थायी परिसम्पत्तियों में रु 0118.36 लाख की न्यूनोक्ति हुई।

क.2.2 चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम आदि (अनुसूचि-5)- रु 01173.36 करोड़

- (i) उपरोक्त में रु 079.54 की राशि रोकड़बही के चालू खाते संख्या 33012024865 भारतीय स्टेट बैंक में वर्ष के दौरान समापन शेष के रूप में थी- वह राशि उपरोक्त में शामिल नहीं है। इसका भी समाधान किया जाना आवश्यक है।
- (ii) उपरोक्त में रु 0594.58 करोड़ की राशि जो वर्ष 2014-15 में विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अग्रिम अनुदान (गैर योजनागत) के रूप में जारी की गई थी, वह सम्मिलित नहीं की गई है। उसके स्थान पर इसे “अनुदान पर व्यय” के अन्तर्गत दर्शाया गया है। इससे परिणामतः चालू परिसम्पत्तियों में न्यूनोक्ति हुई है तथा व्यय में उतनी ही राशि की अत्योक्ति हुई है।

- (iii) उपरोक्त राशि में रु00.65लाख एवं रु0145.49लाख की अर्जित ब्याज राशि सम्मिलित है जो क्रमशः स्थायी जमा प्राप्तियों के स्थायी निधि एवं सामान्य भाविष्य निधि स्थायी जमा प्राप्तियों पर है वह सम्मिलित है जबकि अर्जित ब्याज राशि क्रमशः रु01.11लाख एवं रु0226.91लाख है। इससे चालू परिसम्पत्तियों में एवं देयताओं में रु081.88लाख की न्यूनोक्ति हुई है।

ख. आय एवं व्यय खाता

ख.1 आय

दक्षिण पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय बंगलौर द्वारा रु097.18लाख जो कि एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से महाविद्यालयों द्वारा वापस कर दी गई थी और जो केनरा बैंक में थी, उसे विवरण के अभाव के कारण हिसाब में नहीं लिया गया है जिसके परिणामतः उतनी ही राशि की न्यूनोक्ति हुई।

ख.2 व्यय

ख.2.1 प्रशासनिक व्यय (अनुसूचि-10) रु031करोड़

उपरोक्त राशि में रु011.00लाख का अग्रिम सम्मिलित है जिसे पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता द्वारा निर्धारित किया गया था तथा जिसके परिणामतः उतनी ही राशि की व्यय सम्बन्धी अत्योक्ति हुई एवं चालू परिसम्पत्तियों की न्यूनोक्ति हुई।

ग. सहायता अनुदान (यूजीसी)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का वित्तीयन मुख्य रूप से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। वर्ष 2013-14 के में आयोग ने ₹10138.30 करोड़ राकश का सहायता अनुदान प्राप्त किया (₹5013.91 करोड़-योजनागत एवं 5124.39 करोड़-गैर योजनागत)। ₹10138.30 करोड़ के अनुदान में से, ₹650.08 करोड़ (₹519.19 करोड़ योजनागत एवं ₹130.89 करोड़ गैर योजनागत) मार्च 2014 में प्राप्त किया गया था। ₹493.66 करोड़ (योजनागत ₹427.13 करोड़ एवं गैर-योजनागत ₹66.53 करोड़) पिछले वर्ष अर्थात् 2012-13 की अनुपयुक्त राशि के रूप में था। समग्र ₹10631.96 करोड़ के अनुदान (योजनागत ₹5441.04 करोड़ एवं गैर योजनागत ₹5190.92 करोड़) आयोग ने ₹10527.31 का उपयोग किया (योजनागत ₹5348.26 करोड़ एवं गैर-योजनागत ₹5179.05 करोड़) जिसमें ₹104.65 करोड़ (योजनागत ₹92.78 करोड़ एवं गैर-योजनागत ₹11.87 करोड़) की राशि अव्ययित शेष थी।

आयोग को सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से भी क्रमशः ₹24.50 करोड़ एवं ₹50.00 करोड़ की सहायता अनुदान राशि प्राप्त हुई थी तथा उसके पास क्रमशः ₹58.09 करोड़ आद्य शेष एवं ₹2.13 करोड़ एवं ₹77.54 तथा ₹3.04 वापसी एवं बैंक ब्याज के रूप में थी। आयोग ने ₹111.72 करोड़ का उपयोग किया (₹65.29 करोड़ सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय तथा ₹46.43 करोड़, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय से प्राप्त) तथा उसके पास अनुपयुक्त ₹103.58 करोड़ की राशि (₹19.43 करोड़ सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय तथा ₹84.15 करोड़-अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय) दिनांक 31.03.2014 तक अव्ययित शेष के रूप में थी।

वर्ष 2013-14 के दौरान जनजातीय मामलों के मंत्रालय से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था। पिछले वर्ष की अव्ययित अनुदान राशि 25.80 करोड़ में से यूजीसी ने 2013-14 के दौरान 27.19 का उपयोग किया। अतिरिक्त व्यय का निपटान, अव्ययित शेष/प्रतिपूर्ति उस राशि जो कि विभिन्न संस्थानों तथा बैंकों से प्राप्त ब्याज राशि की थी-उससे किया गया।

कृते एवं भारत के महानियंत्राक एवं महालेखापरीक्षक

ह./-

स्थान: नई दिल्ली

तिथि:

महालेखापरीक्षक

केन्द्रीय व्यय

संलग्नक

1. आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

- विभिन्न एकांशों की आन्तरिक लेखा परीक्षा आयोग के आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा संचालित की जाती है।
- वर्ष 2013-14 के दौरान 6 एकांशों का लेखा परीक्षण निश्चित किया गया था परंतु केवल 5 एकांशों का ही लेखा परीक्षण किया गया था। दिनांक 31.03.2014 तक वर्ष 1990 से 2014 तक की अवधि के 46 लेखा परीक्षण अनुच्छेद लंबित थे।

2. आन्तरिक नियंत्रक प्रणाली की पर्याप्तता

- फोर्ड फाउण्डेशन लेखों में यूजीसी द्वारा रु019.63 लाख का समापन शेष दर्शाया गया था। तथापि वर्ष 1999-2000 से लेकर अब तक इस निधि में से कोई व्यय नहीं किया गया है। यूजीसी इस समस्त स्थिति का पुनरीक्षण करे तथा इस निधि की उपयोगिता अथवा इसकी प्रतिपूर्ति मंत्रालय को करने के विषय में आवश्यक कार्यवाही करें।

दिनांक 31 मार्च, 2014 की अवधि तक यूजीसी द्वारा जारी किए गए अनुदान एवं उपयोगिता प्रमाणपत्रों की लंबित स्थिति निम्नवत है:-

(रु0 लाख में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय/संस्थान	विश्वविद्यालयों की संख्या	जारी किए गए अनुदान	अशोधित उपयोगिता प्रमाण पत्र
1.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय-सामान्य विकास सहायता योजना 12वीं योजना के दौरान	39	410520.55	157177.11
2.	मानित विश्वविद्यालय-12वीं योजनागत सामान्य विकास अनुदान	19	8660.08	3302.38
3.	राज्य विश्वविद्यालय-11वीं योजनागत सामान्य विकास अनुदान	144	81355.87	वर्ष 2012-13 तक 29509.00
4.	राज्य विश्वविद्यालय-11वीं योजनागत सामान्य विकास अनुदान	144	39336.36	वर्ष 2012-12 तक 24375.42
5.	12वीं योजना के अंतर्गत राज्य विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता	156	83479.40	67022.55
	कुल	502	623352.26	281386.46

502 राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/मानित विश्वविद्यालयों एवं शैक्षिक संस्थानोंसे रु0 2813.86करोड. राशि के लम्बित लेखा परीक्षित लेख एवं उपयोगिता प्रमाणपत्रों द्वारा स्पष्ट है कि आवंटित अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्राप्त करने में यूजीसी का आंतरिक नियंत्रण का अभाव है।

3. अचल परिसम्पत्तियों के भौतिक प्रमाणीकरण की प्रणाली

- यूजीसी की अचल परिसम्पत्तियों का भौतिक प्रमाणीकरण मार्च 2007 तक ही संचालित किया गया था।
- अन्तर विश्वविद्यालय एक्सीलरेटर सेन्टर (आई.यू.ए.सी.) नई दिल्ली ने मार्च, 2013 तक के अचल परिसम्पत्तियों का भौतिक प्रमाणीकरण संचालित किया था।
- कॉन्सोशियम फॉर एजुकेशनल कम्यूनिकेशन (सी.ई.सी.) ने फर्नीचर एवं उपस्कर का भौतिक संचालन फरवरी, 2012 तक एवं कंप्यूटर एवं उसकी मशीनरी, वाहन का 2013-14 तक इनका भौतिक प्रमाणीकरण संचालित किया था।

4. सम्पत्ति सूची के भौतिक प्रमाणीकरण की प्रणाली

- यूजीसी के उपभोज्य पदार्थों के भौतिक प्रमाणीकरण मार्च, 2014 तक संचालित किया गया था तथा किसी प्रकार के तात्विक अभाव सूचित नहीं किया था।
- आई.यू.ए.सी. के उपभोज्य पदार्थों एवं लेखन सामग्री का भौतिक प्रमाणीकरण मार्च, 2013 तक संचालित किया गया था तथा सी.ई.सी. का प्रमाणीकरण 2011-12 तक किया गया था।
- आई.यू.ए.सी. की पुस्तकों एवं प्रकाशन का भौतिक प्रमाणीकरण 2013-14 तक किया गया था।

5. सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता

- दिनांक 31.03.2014 की अवधि तक सांविधिक देयताओं जैसे कि भविष्य निधि, आयकर का कोई भी भुगतान अशोधित नहीं था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

नई दिल्ली

**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लेखों पर वर्ष 2013-14 की “पृथक लेखा परीक्षण रिपोर्ट”
पर लेखा परीक्षण अनुच्छेदों के प्रति टिप्पणी**

क्र.सं.	लेखा परीक्षण अनुच्छेद	उत्तर/टिप्पणी
क	तुलन-पत्र	
ख	परिसंपत्तियाँ	
क.1.1.	<p>चिन्हित/स्थायी निधि कोष (अनुसूची-2) रुपये1.69 करोड़।</p> <p>लेखों निवेश से प्राप्त निधि के लेखों में आय से सम्बद्ध इनके प्रारूप की अनुसूची-3 के अनुसार अन्य किसी अतिरिक्त आय को सम्बद्ध निधि में सम्मिलित किया जाना चाहिए, जबकि चिन्हित/स्थायी निधि में निवेश की आय को -जो कि रुपये6.54 लाख को आय में दर्शाया गया है परन्तु चिन्हित/ स्थायी निधि कोष में अन्तरित नहीं किया गया है। परिणाम स्वरूप स्थायी निधि कोष में न्यूनोक्ति हुई तथा कायिक निधि/पूँजीगत निधि में रु06.54लाख की अत्युक्ति हुई।</p>	अगले वित्त वर्ष 2014-15 में संशोधन हेतु इसे नोट कर लिया गया है।
क.1.2	<p>चालू परिसम्पत्तियाँ एवं प्रावधान (अनुसूची-3)-रु036.43करोड़</p> <p>उपरोक्त राशि में रु0(-)3.99लाख की ऋणात्मक राशि सम्मिलित है। इसका शोध एवं समाधान किया जाना चाहिए।</p>	भविष्य में अनुपालन हेतु इसे नोट कर लिया गया है।
क. 2	परिसम्पत्तियाँ	
क.2.1.	<p>स्थायी परिसम्पत्तियाँ (अनुसूची-4)-रु07.36 करोड़</p> <p>(i) उपरोक्त में 0.75एकड़ भूमि का मूल्य सम्मिलित नहीं है जो शहरी मामलों एवं रोजगार मन्त्रालय द्वारा आर्बिट्रिट की गई है। भूमि के लेखों के अभाव से परिसम्पत्तियों एवं पूँजीगत निधि में न्यूनोक्ति हुई है।</p> <p>यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए चिन्हित कुल भूमि एवं भवन क्षेत्र तथा उसकी लागत विवरण के दस्तावेज लेखापरीक्षण अधिकारियों को प्रस्तुत नहीं किये गये थे।</p>	भविष्य में अनुपालन हेतु इसे नोट कर लिया गया है।

(ii)	यूजीसी ने वर्ष के आरम्भ में रु05.98करोड़ राशि की परिसम्पत्तियों दर्शायी थीं, जिसमें रु02.47करोड़ की स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्य भी शामिल था। इन स्थायी परिसम्पत्तियों पर कोई अवमूल्यन प्रभार नहीं लगाया गया था जिसके परिणाम स्वरूप स्थायी परिसम्पत्तियों पर अत्युक्ति हुई तथा व्यय में न्यूनोक्ति हुई। वर्ष 2008-2009 से लेकर अब तक की पृथक लेखा परीक्षण रिपोर्ट में भी इसका संकेत दिया गया है।	भविष्य में अनुपालन हेतु इसे नोट कर लिया गया है।
(iii)	सितम्बर, 2013 में एन.आ.सी.एस.आइ. को दी गई 1.68करोड़ की अग्रिम राशि जो ई-अभिशासन योजना के अन्तर्गत अनुप्रयोग विकास हेतु थी, उसे चालू परिसम्पत्तियों/कार्य प्रगति के अन्तर्गत दर्शाने के स्थान पर स्थायी परिसम्पत्तियों में अतिरिक्त राशि कम्प्यूटर परिधियों के अन्तर्गत दर्शाया गया। इससे परिणामतः स्थायी परिसम्पत्तियों में अत्योक्ति हुई तथा चालू परिसम्पत्तियों में रु01.68करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।	भविष्य में अनुपालन हेतु इसे नोट कर लिया गया है।
(iv)	रैगिंग विरोधी सहायता सेवा के सन्दर्भ में रु028.93लाख की राशि को कम्प्यूटर परिधियों के अन्तर्गत स्थायी परिसम्पत्तियों के लिए अतिरिक्त रूप से दर्शाया गया है। क्योंकि यह व्यय राशि आय के स्वरूप वाली थी, उसे स्थायी परिसम्पत्तियों में नहीं जोड़ा जाना था। परिणामतः इससे स्थायी परिसम्पत्तियों में अत्योक्ति हुई तथा व्यय में रु028.93लाख की न्यूनोक्ति हुई।	अगले वित्त वर्ष में संशोधन हेतु इसे नोट कर लिया गया है।
(v)	कम्प्यूटर परिधीय रु0266.04लाख की अवमूल्यन राशि में प्रभार के रूप में रु0118.36लाख (60 प्रतिशत की दर पर) की गई जो आय में रु028.93लाख को सम्मिलित करने से तथा रु0168.34लाख के अग्रिम भुगतान के परिणाम स्वरूप हुई। इससे व्यय में परिणामतः अत्योक्ति हुई तथा स्थायी परिसम्पत्तियों में रु0118.36लाख की न्यूनोक्ति हुई।	अगले वित्त वर्ष में संशोधन हेतु इसे नोट कर लिया गया है।
क.2.2	<p>चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम आदि (अनुसूचि-5)- रु01173.36करोड़</p> <p>उपरोक्त में रु079.54की राशि रोकड़ बही के चालू खाते संख्या 33012024865 भारतीय स्टेट बैंक में वर्ष के दौरान समापन शेष के रूप में थी- वह राशि उपरोक्त में शामिल नहीं है। इसका भी समाधान किया जाना आवश्यक है।</p>	(i) अगले वित्त वर्ष में संशोधन हेतु इसे नोट कर लिया गया है।

(ii)	उपरोक्त में रु0594.58 करोड़ की राशि जो वर्ष 2014-15 में विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अग्रिम अनुदान (गैर योजनागत) के रूप में जारी की गई थी, वह सम्मिलित नहीं की गई है। उसके स्थान पर इसे “अनुदान पर व्यय” के अन्तर्गत दर्शाया गया है। इससे परिणामतः चालू परिसम्पत्तियों में न्यूनोक्ति हुई है तथा व्यय में उतनी ही राशि की अत्युक्ति हुई है।	भविष्य में अनुपालन हेतु इसे नोट कर लिया गया है।
(iii)	उपरोक्त राशि में रु00.65लाख एवं रु0145.49लाख की अर्जित ब्याज राशि सम्मिलित है जो क्रमशः स्थायी जमा प्राप्तियों के स्थायी निधि एवं सामान्य भाविष्य निधि स्थायी जमा प्राप्तियों पर है वह सम्मिलित है जबकि अर्जित ब्याज राशि क्रमशः रु01.11लाख एवं रु0226.91 लाख है। इससे चालू परिसम्पत्तियों में एवं देयताओं में रु081.88लाख की न्यूनोक्ति हुई है।	अगले वित्त वर्ष 2014-15 में संशोधन हेतु इसे नोट कर लिया गया है।
ख. ख.1 (i)	आय एवं व्यय खाता आय दक्षिण पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय बंगलौर द्वारा रु097.18लाख जो कि एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से महाविद्यालयों द्वारा वापस कर दी गई थी और जो केनरा बैंक में थी, उसे विवरण के अभाव के कारण हिसाब में नहीं लिया गया है जिसके परिणामतः उतनी ही राशि की न्यूनोक्ति हुई।	इसे नोट कर लिया गया है तथा अगले वित्त वर्ष 2014-15 में इसमें संशोधन किया जाएगा।
ख.2 ख.2.1	व्यय प्रशासनिक व्यय (अनुसूचि-10) रु031करोड़ उपरोक्त राशि में रु011.00लाख का अग्रिम सम्मिलित है जिसे पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता द्वारा निर्धारित किया गया था तथा जिसके परिणामतः उतनी ही राशि की व्यय सम्बन्धी अत्युक्ति हुई एवं चालू परिसम्पत्तियों की न्यूनोक्ति हुई।	इसे नोट कर लिया गया है तथा अगले वित्त वर्ष 2014-15 में इसमें संशोधन किया जाएगा।

<p>ग.</p>	<p>सहायता अनुदान (यूजीसी)</p> <p>विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का वित्तीय मुख्य रूप से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। वर्ष 2013-14 के में आयोग ने ₹10138.30 करोड़ राकश का सहायता अनुदान प्राप्त किया (₹5013.91 करोड़-योजनागत एवं 5124.39 करोड़-गैर योजनागत)। ₹10138.30 करोड़ के अनुदान में से, ₹650.08 करोड़ (₹519.19 करोड़ योजनागत एवं ₹130.89 करोड़ गैर योजनागत) मार्च 2014 में प्राप्त किया गया था। ₹493.66 करोड़ (योजनागत ₹427.13 करोड़ एवं गैर-योजनागत ₹66.53 करोड़) पिछले वर्ष अर्थात् 2012-13 की अनुपयुक्त राशि के रूप में था। समग्र ₹10631.96 करोड़ के अनुदान (योजनागत ₹5441.04 करोड़ एवं गैर योजनागत ₹5190.92 करोड़) आयोग ने ₹10527.31 का उपयोग किया (योजनागत ₹5348.26 करोड़ एवं गैर-योजनागत ₹5179.05 करोड़) जिसमें ₹104.65 करोड़ (योजनागत ₹92.78 करोड़ एवं गैर-योजनागत ₹11.87 करोड़) की राशि अव्ययित शेष थी।</p> <p>आयोग को सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से भी क्रमशः ₹24.50 करोड़ एवं ₹50.00 करोड़ की सहायता अनुदान राशि प्राप्त हुई थी तथा उसके पास क्रमशः ₹58.09 करोड़ आद्य शेष एवं ₹2.13 करोड़ एवं ₹77.54 तथा ₹3.04 वापसी एवं बैंक ब्याज के रूप में थी। । आयोग ने ₹111.72 करोड़ का उपयोग किया (₹65.29 करोड़ सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय तथा ₹46.43 करोड़, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय से प्राप्त) तथा उसके पास अनुपयुक्त ₹103.58 करोड़ की राशि (₹19.43 करोड़ सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय तथा ₹84.15 करोड़ अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय) दिनांक 31.03.2014 तक अव्ययित शेष के रूप में थी।</p> <p>वर्ष 2013-14 के दौरान जनजातीय मामलों के मंत्रालय से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था। पिछले वर्ष की अव्ययित अनुदान राशि 25.80 करोड़ में से यूजीसी ने 2013-14 के दौरान 27.19 का उपयोग किया। अतिरिक्त व्यय का निपटान, अव्ययित शेष/प्रतिपूर्ति उस राशि जो कि विभिन्न संस्थानों तथा बैंकों से प्राप्त ब्याज राशि की थी-उससे किया गया।</p>	<p>पृथक लेखा परीक्षण रिपोर्ट (एससआर) में दर्शायी गई समस्त संख्या हमारे अभिलेखों के अनुसार सत्य हैं।</p>
-----------	--	---

संलग्नक

1.	<p>आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता</p> <p>➤ विभिन्न एकांशों की आन्तरिक लेखा परीक्षा आयोग के आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा संचालित की जाती है।</p> <p>➤ वर्ष 2013-14 के दौरान 6 एकांशों का लेखा परीक्षण निश्चित किया गया था परंतु केवल 5 एकांशों का ही लेखा परीक्षण किया गया था। दिनांक 31.03.2014 तक वर्ष 1990 से 2014 तक की अवधि के 46 लेखा परीक्षण अनुच्छेद लंबित थे।</p>	<p>भविष्य के लिए नोट किया गया। अनुपालन विवरण अगले लेखा परीक्षण के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।</p>
2.	<p>आन्तरिक नियंत्रक प्रणाली की पर्याप्तता</p> <p>➤ फोर्ड फाउण्डेशन लेखों में यूजीसी द्वारा ₹019.63 लाख का समापन शेष दर्शाया गया था। तथापि वर्ष 1999-2000 से लेकर अब तक इस निधि में से कोई व्यय नहीं किया गया है। यूजीसी इस समस्त स्थिति का पुनरीक्षण करे तथा इस निधि की उपयोगिता अथवा इसकी प्रतिपूर्ति मंत्रालय को करने के विषय में आवश्यक कार्यवाही करें।</p>	<p>अनुपालन हेतु नोट किया गया।</p>

दिनांक 31 मार्च, 2014 की अवधि तक यूजीसी द्वारा जारी किए गए अनुदान एवं उपयोगिता प्रमाणपत्रों की लंबित स्थिति निम्नवत है:-

(₹0 लाख में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय/संस्थान	विश्वविद्यालयों की संख्या	जारी किए गए अनुदान	अशोधित उपयोगिता प्रमाणपत्र
1.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय-सामान्य विकास सहायता योजना 12वीं योजना के दौरान	39	410520.55	157177.11
2.	मानित विश्वविद्यालय-12वीं योजनागत सामान्य विकास अनुदान	19	8660.08	3302.38
3.	राज्य विश्वविद्यालय-11वीं योजनागत सामान्य विकास अनुदान	144	81355.87	29509.00वर्ष 2012-13 तक
4.	राज्य विश्वविद्यालय-11वीं योजनागत सामान्य विकास अनुदान	144	39336.36	24375.42वर्ष 2012-12 तक
5.	12वीं योजना के अंतर्गत राज्य विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता	156	83479.40	67022.55
	कुल	502	623352.26	281386.46

	502 राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/मानित विश्वविद्यालयों एवं शैक्षिक संस्थानों से रु0 2813.86करोड. राशि के लम्बित लेखा परीक्षित लेख एवं उपयोगिता प्रमाणपत्रों द्वारा स्पष्ट है कि आवंटित अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्राप्त करने में यूजीसी का आंतरिक नियंत्रण का अभाव है।	अशोधित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की त्वरित प्राप्ति हेतु कार्यवाही की जा रही है।
3.	अचल परिसम्पत्तियों के भौतिक प्रमाणीकरण की प्रणाली <ul style="list-style-type: none"> ➤ यूजीसी की अचल परिसम्पत्तियों का भौतिक प्रमाणीकरण मार्च 2007 तक ही संचालित किया गया था। ➤ अन्तर विश्वविद्यालय एक्सीलरेटर सेन्टर (आई.यू.ए.सी.) नई दिल्ली ने मार्च, 2013 तक के अचल परिसम्पत्तियों का भौतिक प्रमाणीकरण संचालित किया था। ➤ कॉन्सोशियम फॉर एजुकेशनल कम्यूनिकेशन (सी.ई.सी.) ने फर्नीचर एवं उपस्कर का भौतिक संचालन फरवरी, 2012 तक एवं कंप्यूटर एवं उसकी मशीनरी, वाहन का 2013-14 तक इनका भौतिक प्रमाणीकरण संचालित किया था। 	भविष्य में अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।
4.	सम्पत्ति सूची के भौतिक प्रमाणीकरण की प्रणाली <ul style="list-style-type: none"> ➤ यूजीसी के उपभोज्य पदार्थों के भौतिक प्रमाणीकरण मार्च, 2014 तक संचालित किया गया था तथा किसी प्रकार के तात्विक अभाव सूचित नहीं किया था। ➤ आई.यू.ए.सी. के उपभोज्य पदार्थों एवं लेखन सामग्री का भौतिक प्रमाणिकरण मार्च, 2013 तक संचालित किया गया था तथा सी.ई.सी. का प्रमाणिकरण 2011-12 तक किया गया था। ➤ आई.यू.ए.सी. की पुस्तकों एवं प्रकाशन का भौतिक प्रमाणीकरण 2013-14 तक किया गया था। 	नोट किया गया।
5.	सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता <ul style="list-style-type: none"> ➤ दिनांक 31.03.2014 की अवधि तक सांविधिक देयताओं जैसे कि भविष्य निधि, आयकर का कोई भी भुगतान अशोधित नहीं था। 	नोट किया गया।

(जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव

(प्रो० जसपाल सिंह सन्धु)
सचिव

